जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

18/15

मुन्तकिली प्रकरण सं0 18/2015 अनवानी जगाराम पुत्र गुलजारी जाति बावरी साकिन खाटसजवार तहसील सादुलशहर बनाम 1–गुरबचन पुत्र अरजन जाति बावरी साकिन 9 एस डी एस तहसील सादुलशहर 2–संतराम 3–ईश्वरसिंह 4–दयाल 5–मोहन माता श्री धनो 6–सोहन माता श्री धनो 7–उपजिला पुनर्वास सादुलशहर 8–उपजिला पुनर्वास श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.12.2015

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा का कथन है कि प्रार्थी के पिता गुलजारी को नोन कलेमेंट के रूप में गांव खाटसजवार तहसील सादुलशहर में 24.10 बीघा आवंटित हुई थी जो बाद में चक बंदी होने पर चक 7 एस डी एस ए व चक 9 एसडीएस में 4.301 हे0 भूमि के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान अरजनराम, जगाराम, प्यारो लड़की धन्ना घोषित की गई और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होना था किन्तु चक 7 एसडीएस की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया परन्तु चक 9 एसडीएस की भूमि अरजन राम ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसका प्रकरण सेटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 03.01.06 को रिमाण्ड कर जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर को भेजा गया। इस दौरान डीपीसी एण्ड एक्ट रिपिल होने के कारण जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा कार्यवाही समाप्त कर दी गयी। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2006 अनुसार पुनः उपजिलाधीश सादुलशहर व जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रा0 पत्र प्रस्तुत किये किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है। राज्य सरकार के उक्त परिपत्र अनुसार राजस्व न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही की जानी है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय से जिस प्रकरण को मुन्तकिल करवाना चाहता है। वह प्रकरण पुनर्वास विभाग की भूमि से संबंधित है और जिसकी सुनवाई डी.पी.सी. एण्ड आर एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत ही की जानी है। डी.पी.सी. एण्ड आर एक्ट में प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालयों से मुन्तकिल किये जाने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्ता को नही है। इसलिए प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण योग्य न होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयान का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपजिलाधीश पुनर्वास सादुलशहर व उपजिलाधीश पुनर्वास श्रीगंगानगर को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर